# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 34/2016

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| लिछमण पुत्र सालीगराम जाति कुम्हार निवासी थांवला तहसील रियांबडी | | सरकार जरिये उप तहसीलदार, भैरून्दा तहसील रियांबडी |

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**निर्णय** दिनांक: 28.11.17

(1)–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2016 सरकार बनाम लिछमण में निर्णय दिनांक 20.01.16 के तहत मौजा थांवला के खसरा नं. 33 रकबा 5.08 बीघा बारानी–2 भूमि से बेदखली, शास्ति व सिविल कारावास से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.03.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 05.04.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 20.1.16 को पेशी के दिन अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ तब रीडर ने बताया कि आपके खेत का नाप चोप करवायेंगें एवं आपको सूचना दे देगें। तत्पश्चात अपीलांट खाने कमाने हेतु गांव से बाहर चला गया व दिनांक 6.3.16 को जब गांव आया तब गांव में उसे इत्तला मिली कि तुम्हारे खिलाफ वारन्ट निकला हुआ है। तब अपीलांट ने इधर उधर से पता किया व उप तहसील गया व पत्रावली के संबंध में रीडर से पता किया तब उन्होने बताया कि तहसीलदार ने उसी दिन आपके विरूद्व सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया। तब अपीलांट ने जानकारी लेकर उप तहसील भैरून्दा से दिनांक 17.3.16 को नकल प्राप्त की तब प्रथम बार अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। अपीलांट ने मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका राजकीय अभिभाषक द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मामले में नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

(2)(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से पारित किया होने से निरस्तनीय है।

2)(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये, बगैर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

(2)(III)–हल्का पटवारी थांवला ने जिस खसरा नं. 33 रकबा 5.08 बीघा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया है। उसका कोई ठोस आधार व दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया। न ही अधीनस्थ न्यायालय ने टी.पी. रिपोर्ट के समर्थन में हल्का पटवारी के अथवा किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान लिये इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व विधि विरूद्व ढंग से अपीलांट के विरूद्व सिविल कारावास के दण्डित किये जाने का जो आदेश पारित किया वह काबिल निरस्तनीय है।

(2)(IV)–वादग्रस्त खेत खसरा नं. 33 रकबा 5.08 बीघा पर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कब्जा अथवा अतिक्रमण इत्यादि नही किया गया है। न ही अपीलांट का पूर्व में कब्जा अथवा अतिक्रमण इत्यादि नही किया गया है। न ही अपीलांट का पूर्व में कब्जा था। न ही वर्तमान में है। किन्तु हल्का पटवारी ने बिना किसी ठोस आधार के बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलांट के विरूद्व टी.पी. रिपोर्ट पेश कर दी व अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना किसी प्रकार की जांच किये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

(2)(V)–खसरा नं. 33 के चिपते ही उत्तरी तरफ अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नं.



अपर कलक्टर, नागौर

2302/33 स्थित है। किन्तु हल्का पटवारी ने अपीलांट के खेत का नापचोप किये बगैर अपीलांट को वादग्रस्त खसरा नं. 33 में अतिक्रमी मानने में विधिक भूल की है एवं इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने भी किसी प्रकार की कोई जांच नही की एवं बिना जांच किये, एवं बिना हल्का पटवारी के बयान लिये अपीलांट के विरूद्व सिविल कारावास से दण्डित कर दिया। जबकि सिविल कारावास का आदेश पारित करने से पूर्व पूर्णरूप से जांच करनी चाहिये थी। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच पडताल किये आदेश जैर अपील पारित किया है। वो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील में अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण स्वीकार करना व अतिक्रमण हटाने से इंकार करने का उल्लेख किया है। जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नं. 33 रकबा 5.08 बीघा पर अतिक्रमण स्वीकार करना अथवा नही हटाये जाने बाबत कोई कथन नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को केवल मात्र सिविल कारावास भुगताने के दुराशय से ही कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा थांवला में स्थित बारानी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि राजकीय भूमि है। इससे पूर्व प्रकरण सं. 8/15 में दिनांक 12.8.15 को भौतिक रूप से बेदखली भी की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिकमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके थांवला के खसरा नंबर 33 रकबा 5.08 बीघा बारानी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि राजकीय भूमि है। इससे पूर्व प्रकरण सं. 8/15 में दिनांक 12.8.15 को अपीलांट स्वयं की मौजूदगी में आराजी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना अभिलेख से साबित है तथा इस भौतिक बेदखली को पटवारी के बयान दिनांक 20.1.16 से साबित भी कराया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 8.3.16 की फोटोप्रति से भी आदेश जैर अपील पारित करने की तिथि को उसके द्वारा अतिक्रमण होना साबित है तथा उक्त अतिक्रमण की पुनरावृति पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर